प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को 09 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः-01.03.2023

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 01.03.2023 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 158/14 धारा 4 पास्को एक्ट व 506 भादवि बनाम पिल्लू उर्फ विवेक पुत्र राजकुमार निवासी मुराउन टोला कस्बा व थाना महोली सीतापुर में पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 01.03.2023 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पी0ओ0सी0एस0ओ0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-14 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त पिल्लू उर्फ विवेक उपरोक्त को **09 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 25,000/- रुपये अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी।

....